

नेपाल में बिकने से बची सरगुजा की बेटी, परिवार में लौटी खुशियां

अबिकापुर। मैनपाट के एक गांव से अगवा हुई स्कूली छात्रा नेपाल में बिकने से बच गई। सरगुजा एसपी सदानंद कुमार की पहल पर छात्रा को नेपाल के भरतपुर से सकुशल ब्रामद कर लिया गया है। नेपाल के भरतपुर के एसपी गोविंद थापा, सरगुजा एसपी के बैचमेट रहे हैं। जैसे ही सरगुजा एसपी ने नेपाल के भरतपुर एसपी से संपर्क स्थापित किया वैसे ही वहां की पुलिस सक्रिय होकर खोजबीन में जुट गई।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका पद के लिए 7 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित

रायगढ़। एकीकृत बाल विकास परियोजना रायगढ़ अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद के लिए 7 अगस्त 2018 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। इच्छुक महिला आवेदिका नियत तिथि तक एकीकृत बाल विकास परियोजना रायगढ़ ग्रामीण में सीधे अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम बेलरिया में कार्यकर्ता के एक पद, कोसाबाड़ी में मिनी कार्यकर्ता तथा उर्दना, पतरपाली पश्चिम 2, बेलरिया एवं उर्दना पुलिस लाईन में सहायिका के एक-एक पद रिक्त हैं। आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु 12 वीं अथवा पूर्ववर्ती 11 वीं बोर्ड उत्तीर्ण, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु 12 वीं अथवा 11 वीं बोर्ड उत्तीर्ण एवं आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु 8 वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। इस संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए एकीकृत बाल विकास परियोजना रायगढ़ कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

रेलकर्मियों को टीटीई ने नहीं दिया बर्थ, मामला पहुंचा रेल पुलिस के पास

रायगढ़। बर्थ होने के बाद भी टीटीई ने रेल कर्मियों को बर्थ देने से इनकार के बाद झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी से क्षुब्ध रेलकर्मियों ने रायगढ़ आरपीएफ पुलिस को शिकायत देते हुए कार्रवाई की मांग किया है। इस घटना के बाद पूर्व की तरह एक बार फिर से टीटीई एवं रेलकर्मियों के मध्य टकराव हो गई। इस सम्बंध में मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी रेलकर्मियों खुश रंजन ने आवेदन के माध्यम से बताया की रिवील होने के बाद हावड़ा मुंबई मेल के कोच नम्बर ए 2 में टीटीई तरुण कुमार दास को अपना ड्यूटी पास दिखाते हुए बर्थ की मांग की। जिस पर पास को उपयुक्त नहीं मानते हुए आरपीएफ पुलिस के एएसआई से कोच से बाहर निकालने का आदेश दिया। वहीं बर्थ नंबर 22 उस समय खाली था इसके अलावा बर्थ नम्बर 41 को पैसे देकर आबंटन किया गया। इन सभी घटना के बाद सुरक्षा अधिकारी ने उसे अपने बर्थ में उसे स्थान दिया। शिकायत पत्र में रेल कर्मियों ने टीटीई द्वारा चोरी के प्रकरण में फंसा देने की बात कही है। इस घटना क्रम की खबर मिलने के बाद रेलकर्मियों में आक्रोशित है।

पूर्व में भी सीट नहीं दिए जाने पर हो चुकी है मारपीट गौरतलब है कि चार माह पूर्व भी इस तरह की घटना घटित हो चुकी है। जिसको लेकर विवाद में रेलकर्मियों व टीटीई साथ बिहार एक्सप्रेस में आपस में भिड़ने की वारदात सामने आ चुकी है। उक्त विवाद में भी टीटीई द्वारा सीट उपलब्ध नहीं कराए जाने को लेकर था। वहीं एक बार फिर से सीट उपलब्ध होने के बाद भी रेल कर्मियों को बर्थ उपलब्ध नहीं कराया गया। इस तरह से देखा जाए तो टीटीई एवं रेलकर्मियों के मध्य यह विवाद आगे भी होने की सम्भवाता बना हुआ है।

केंद्र सरकार की राशी से चमकेगी रायगढ़ की आठ सड़कें

रायगढ़। शहर भीतर के 25 सड़कों का कायाकल्प के लिए शासन की ओर से 75 करोड़ रूपए दिए गए हैं। इस राशि से सड़कों का काम जारी है। इसके साथ ही शहर के ऐसे 8 सड़कें हैं। जिन्हें केन्द्र की राशि से चमकाने की कवायद की जा रही है। दरअसल नगर निगम द्वारा यूआईडीएसएमटी योजना के तहत शहर के 8 सड़कों का निर्माण करने के लिए करीब 92 करोड़ रूपए का प्रस्ताव तैयार कर केन्द्र सरकार को भेजा गया है। इस राशि से शहर के उर्दना चौक से सर्किट हाऊस, बड़े रामपुर से गोवर्धनपुर व इंदिरा विहार, बोर्डरदादर चौक से शालिनी स्कूल, विजयपुर से महर्षि स्कूल होते हुए पेट्रोल पंप सहित अन्य सड़कों का निर्माण किया जाएगा। बताया जाता है कि केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को अगले सप्ताह तक स्वीकृति दे दी जाएगी। इसके लिए नगर निगम का प्रतिनिधि केन्द्र के इस विभाग में स्वीकृति लेने के लिए मौजूद हैं।

बढ़ गई कीमत

शहर भीतर के 25 सड़कों का जिर्णोद्वार करने के लिए 5 साल पूर्व प्रस्ताव तैयार किया गया था। हालांकि विवाद के कारण इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली थी। 2 साल पहले मंजूरी मिलने के बाद इन सड़कों का काम चालू है। 5 साल पहले बनाए गए स्टीमेट से वर्तमान में तीन गुनी कीमत बढ़ गई है। इसके चलते पूर्व में 25 सड़कों के निर्माण के लिए जहां केवल 75 करोड़ मिले थे। वहीं अब केवल 9 सड़क के लिए 92 करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

खबरें ख्यास

अब सरकारी कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के मामले दाखिल करना होगा कठिन

नई दिल्ली (आरएनएस)। लोकसभा में ध्वनिमत से पारित हुए भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) विधेयक-2008 बिल को राज्य सभा में भी पारित कर दिया गया। इस विधेयक की सबसे अहम बात, सरकारी कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार का मामला शुरू करने से पहले लोकपाल और राज्य के लोकायुक्त की अनुमति लेना अनिवार्य है। साथ ही रिश्तत लेने ही नहीं देने वाले पर भी कानूनी कार्रवाई की जाने का प्रबंधन है। इसके तहत अब रिश्तत देने वालों को सात साल तक की सजा हो सकती है। इस विधेयक की खास बात यह भी है कि संशोधन बिल के तहत भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों को दो साल के अंदर ही निपटाना होगा। अब रिश्तत लेने वाले के साथ ही देने वाले को भी सजा मिलेगी। राज्यसभा में पास हो चुके भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) विधेयक-2008 बिल को लोकसभा से भी मंजूरी मिल गई है। इस विधेयक के मुताबिक रिश्तत देने वाले को सात साल जेल या जुमानज या फिर दोनों सजा देने का प्रावधान किया गया है। विधेयक में रिश्तत लेने वाले के लिए कम से कम तीन साल और ज्यादा से ज्यादा सात साल की सजा का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में ध्वनिमत से पारित हुए भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) विधेयक-2008 बिल को पारित कर दिया गया। संशोधन बिल में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों को दो साल के अंदर ही निपटाना होगा। बताया जाता है कि 1988 के भ्रष्टाचार निवारण कानून में संशोधन कर नया बिल पेश किया गया है। राज्य सभा में एक सप्ताह पहले ही इस बिल को मंजूरी मिल गई थी। विधेयक में सरकारी कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार का मामला शुरू करने से पहले लोकपाल और राज्य के लोकायुक्त की अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है।

मां मानसिक तौर पर कमजोर होने की वजह से कुछ साफ जानकारी नहीं दे पा रही है।

पहले पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि बच्चियों ने कई दिन से कुछ भी नहीं खाया था, ऐसे में डॉक्टरों ने उनकी मौत भूख से होने की आशंका जाहिर की है।

मेडिकल बोर्ड ने जहर, चोट या हत्या जैसी आशंका को अभी खारिज किया है। पैल के पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट दो-तीन दिन में आएगी। विसरा भी जांच के लिए लैब में भेजा जा रहा है।

गुजरात के पाटीदार अनामत आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल को बुधवार को तगड़ झटका लगा। वर्ष 2015 में बीजेपी विधायक के दफ्तर पर हमला मामले में राज्य की एक अदालत ने हार्दिक पटेल और उनके दो अन्य साथियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने पटेल को दो साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा उन्हें बीजेपी विधायक को एक लाख रुपये मुआवजा भी देना होगा।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खुलासा मंडावली में भूख से तीन सगी बहनों की मौत

नई दिल्ली (आरएनएस)। पूर्वी दिल्ली के मंडावली में तीन मासूम बच्चियों की मौत भूख की वजह से हुई थी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने बताया है कि इन बच्चियों के पेट में एक दाना भी नहीं था और उन्हें काफी समय से पौष्टिक खाना नहीं मिला था, जिससे वे काफी कमजोर हो गई थीं। मंगलवार की सुबह घर से ये तीनों बच्चियां बेसुध मिली थीं, पड़ोसी उन्हें अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इनका पिता उस दिन से ही गायब है और पुलिस अब यह पता लगा रही है कि इन बच्चियों की मौत एक ही रात में हुई या अलग-अलग समय पर हुई है। इन बच्चियों मानसी (8 साल), शिखा (4 साल) और पारुल (2साल) का

बुधवार को डॉक्टरों के पैल से दोबारा पोस्टमॉर्टम कराया गया था। मंगलवार को हुए

हार्दिक पटेल दोषी करार, दो साल की सजा

अहमदाबाद (आरएनएस)। गुजरात के पाटीदार अनामत आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल को बुधवार को तगड़ झटका लगा। वर्ष 2015 में बीजेपी विधायक के दफ्तर पर हमला मामले में राज्य की एक अदालत ने हार्दिक पटेल और उनके दो अन्य साथियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने पटेल को दो साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा उन्हें बीजेपी विधायक को एक लाख रुपये मुआवजा भी देना होगा।

मांग का यह कहते हुए विरोध किया था कि आईएनएक्स मीडिया केस में पी चिदंबरम के बेटे कार्ति ने अपने पिता की सहमति और जानकारी के साथ एफआईपीबी द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बता दें कि पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया से जुड़े ईडी के मनी लॉन्डिंग मामले में 23 जुलाई को अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। चिदंबरम की तरफ से उनके वकील प्रमोद कुमार दूबे और अशदीप सिंह के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि एफआईआर में कांग्रेस नेता की कोई भूमिका नहीं बताई गई है।



हाई कोर्ट ने पी चिदंबरम को 1 अगस्त तक गिरफ्तारी से राहत दी



नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली हाई कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को गिरफ्तारी से एक अगस्त तक राहत दे दी है। हाई कोर्ट ने चिदंबरम को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में सहयोग करने और बिना अनुमति के देश छोड़कर नहीं जाने का निर्देश भी दिया है। वहीं ईडी ने चिदंबरम की मांग का यह कहते हुए विरोध किया था कि आईएनएक्स मीडिया केस में पी चिदंबरम के बेटे कार्ति ने अपने पिता की सहमति और जानकारी के साथ एफआईपीबी द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बता दें कि पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया से जुड़े ईडी के मनी लॉन्डिंग मामले में 23 जुलाई को अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। चिदंबरम की तरफ से उनके वकील प्रमोद कुमार दूबे और अशदीप सिंह के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि एफआईआर में कांग्रेस नेता की कोई भूमिका नहीं बताई गई है।

मान्यता समाप्त होने के बाद भी खुल रहा है स्कूल, अभिभावक पहुंचे एसपी के पास, कहा-एफआईआर करो साहब!

रायगढ़। शिक्षा विभाग द्वारा अमली भावना में स्थित रंजीत पब्लिक स्कूल की मान्यता 3 जुलाई को समाप्त कर दी थी लेकिन इसके बाद भी रंजीत पब्लिक स्कूल द्वारा मनमानी तरीके से स्कूल खोला जा रहा है ज्ञात हो कि मान्यता समाप्त करने के पूर्व विभाग के पास स्कूल की बच्चों की उपस्थिति पंजी दाखिल खारिज आदि पंजी जमा करना होता है लेकिन बताया जा रहा है कि

अधोक्षक से एफआईआर की मांग की है। विवादों में रहने वाले रंजीत पब्लिक स्कूल का जहां जिला प्रशासन द्वारा मान्यता समाप्त कर दिया है लेकिन इसके बाद भी स्कूल

प्रबंधन द्वारा छात्रों को टीसी न देना और अभिभावकों को धोखे में रखने को लेकर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात ज्ञापन सौंप कर एफआईआर करने की मांग की गई है। रंजीत पब्लिक स्कूल अमलीभौना में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों द्वारा प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर कर कार्रवाई की मांग की गई है।

प्रबंधन द्वारा छात्रों को टीसी न देना और अभिभावकों को धोखे में रखने को लेकर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात ज्ञापन सौंप कर एफआईआर करने की मांग की गई है। रंजीत पब्लिक स्कूल अमलीभौना में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों द्वारा प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर कर कार्रवाई की मांग की गई है।

यूजीसी के मापदंडों के तहत होगी महाविद्यालयों में अतिथि प्रोफेसरों की नियुक्ति

अटल विहार योजना जोरापाली की ऑनलाईन लाटरी एवं वृहद लोन मेला आयोजित

रायगढ़। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा शासन की राज्य परिवर्तित योजना अटल विहार योजना के अंतर्गत जोरापाली रायगढ़ में एलआईजी एवं इंडब्ल्यूएस भवनों का निर्माण किया जाना है। जिसके लिए मंडल द्वारा पात्र हितग्राहियों से निर्धारित अर्वाधि में आवेदन आमंत्रित किया गया था। अटल विहार योजना जोरापाली में प्रस्तावित भवनों के आबंटन के लिए आबंटन समिति के अनुसार भवनों का आबंटन 24 जुलाई को डिटी

इंडब्ल्यूएस के 59 एवं एलआईजी के 12 भवनों का आबंटन किया गया। शेष बचे हुए रिक्त भवनों का पंजीयन जारी है जिसकी अंतिम तिथि 31 अगस्त 2018 निर्धारित है। इच्छुक हितग्राही निर्धारित अवधि में कार्यालय से आवेदन क्रय कर भवन प्राप्त करने हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। छ.ग. गृह निर्माण के कार्यालय में विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा कैंप लगाकर हितग्राहियों की ऋण संबंधी समस्याओं का निवारण भी किया गया।

रिक्त भवनों का पंजीयन 31 अगस्त तक

तत्काल आवश्यकता है
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्प्यूटर ऑपरेटर, सर्व करले के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यून पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कुलर की सभी तरह की प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु संपर्क करें....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र की खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, तमनार, धरयोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुडेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग. संपर्क करें मो. नं. 9039961090

सामाजिक न्याय संघ
 शासन से मान्यता प्राप्त
 Registered with Govt. No. 5526
अधिकार से न्याय तक
 क्या आपको लगता है कि सभी को जीने का समान अधिकार होना चाहिए और प्रत्येक पीड़ित मानव की भरसक सहायता की जानी चाहिए, तो, आईये हमारे साथ, हम सब मिलकर एक अच्छे समाज का निर्माण करें।

छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिले, तहसील, विकास खण्ड अथवा किसी भी ग्राम में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को यदि किसी भी प्रकार की न्यायिक, गैर-न्यायिक, सामाजिक, राजनीतिक या गैर-राजनीतिक समस्या हो, तो समस्या को सुलझाने एवं न्याय प्राप्ति हेतु आवेदन आमंत्रित है।

हमारी उपलब्धियां

- पांच महीने बाद भी पुलिस ने दर्ज नहीं की सामाजिक न्याय संघ का वृहद लोन मेला आयोजित
- उपरोक्त बच्चों की न्यायिक
- कैरियर स्कूल में संगोष्ठी का आयोजन
- शासकीय मान्यता प्राप्त संघ में उच्चोच्च मान्यता प्राप्त संघों के लिए
- जो भी इस संस्था से नुक़्कर कार्य करना चाहते हो वे अपने समस्त बायोडाटा के साथ सामाजिक न्याय संघ के निम्नलिखित कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

क्र.	स्थान	पद
1	रायगढ़ जिला एवं समस्त ब्लॉक	45
2	सूर्यनूजा जिला एवं समस्त ब्लॉक	35
3	जशपुर जिला एवं समस्त ब्लॉक	40
4	कोरवा जिला एवं समस्त ब्लॉक	25
5	जोगीपुर-चांपा जिला एवं समस्त ब्लॉक	50

व्ही.टी.पी. कार्यालय : श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास रायगढ़ (छ.ग.) प्रधान कार्यालय : रवि सदन, रवि विहार बस्तर बाड़ा रायपुर (छ.ग.)

सम्पर्क करें-9589876400, 9039961090
 E-mail ID- sjunion29@gmail.com website : www.sjunion.org

CMYK